

**मुसलमान के जीवन से संबंधित कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न**

﴿ أسئلة مهمة في حياة المسلم ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندی]

इस्लामी आमन्त्रण एवं निर्देश सेन्टर सनाईया क़दीम

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ أسئلة مهمة في حياة المسلم ﴾

« باللغة الهندية »

مكتب الدعوة بالصناعية القديمة في الرياض

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिरिमल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

मुसलमान के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न :1- मुसलमान अपने अक़ीदे के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर : वह अपने अक़ीदे के बारे में जानकारी अल्लाह तआला की किताब और उसके उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सहीह हदीस से प्राप्त करें जो अपनी ओर से कोई बात नहीं कहता बल्कि : “वह तो मात्र वह्य है जो उतारी जाती है।”
1/4सूरतुन्नज्म : 8 1/2 और यह जानकारी सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ़ सालिहीन की समझ के अनुसार होनी चाहिए।

प्रश्न :2- इस्लाम धर्म के कितने मर्तबे हैं?

उत्तर : तीन हैं : इस्लाम, ईमान और एहसान।

प्रश्न :3- इस्लाम का अर्थ क्या है और इसके कितने अर्कान हैं?

उत्तर : तौहीद को स्वीकारते हुए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने, उस की इताअत (आज्ञा पालन) करने, और शिर्क और मुशिरकों से बेज़ारी (संपर्क न रखने) का नाम इस्लाम है। इसके पाँच अर्कान हैं, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी इस हदीस में ज़िक्र किए हैं : “इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर कायम है; इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवाय कोई सत्य उपास्य नहीं, और यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह (अल्लाह के घर काबा) का हज़्ज करना, और रमज़ान का रोज़ा रखना।” (बुख़ारी और मुस्लिम)

प्रश्न :4- ईमान का अर्थ क्या है और इसके कितने अर्कान हैं?

उत्तर : दिल से एतिकाद, जुबान से इक़ार और अंगों से अमल करने का नाम ईमान है जो नेकी करने से बढ़ता है, और पाप करने से घटता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है:

“ताकि वे अपने ईमान के साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं।” 1/4सूरतुल फ़तह : 81/2 और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : “ईमान की सत्तर से अधिक शाखाएं हैं, इनमें सब से बुलन्द ‘ला-इलाहा इल्लल्लाह’ कहना है, और सब से कमतर रास्ते से कष्ट-दायक चीज़ को हटा देना है, और शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है।” (मुस्लिम) इस बात की ताकीद इस से भी होती है कि नेकियों के मौसम में एक मुसलमान अपने मन में नेकी के कामों में चुस्ती महसूस करता है जबकि पाप करने के कारण बुझा बुझा सा रहता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“अवश्य नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं।” 1/4सूरत हूद : 9981/2 और ईमान के 6 अर्कान हैं जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि : “तुम अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आख़िरत के दिन पर, और अच्छी और बुरी किस्मत पर ईमान ले आओ।” (बुख़ारी और मुस्लिम)

प्रश्न :5- ला-इलाहा इल्लल्लाह का क्या अर्थ है?

उत्तर : गैरुल्लाह के इबादत का हक़दार होने का इन्कार करना और मात्र अल्लाह तआला के लिए इबादत को साबित करना।

प्रश्न :6- कि़यामत के दिन नजात पाने वाली जमाअत कौन सी है?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मेरी उम्मत ७३ फ़िर्को में बट जाएगी, सारे फ़िर्के जहन्नम में जाएंगे सिवाए एक के, सहाबए किराम ने पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन सी जमाअत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: यह वह जमाअत होगी जो मेरे और मेरे सहाबए किराम के तरीके पर होगी।” (अहमद और तिर्मिज़ी) अतः हक़ उस चीज़ में है, जिस पर आप और आप के सहाबए किराम थे, इसलिए यदि तुम नजात और आमाल की कुबूलियत चाहते हो तो उनकी पैरवी करो और बिद्अतों से बचो।

प्रश्न :7- क्या अल्लाह हमारे साथ है?

उत्तर : हाँ, अल्लाह तआला अपने इल्म के द्वारा हमारे साथ है, वह हमारी बातों को सुनता है, हमें देखता है, हमारी रक्षा करता है, हमें घेरे हुए है, वह हम पर कादिर है, हमारे अन्दर उसकी मशीयत (चाहत) चलती है। लेकिन उसकी ज़ात

मखलूक (सृष्टि) के अन्दर मिली हुई नहीं है, और न ही कोई मखलूक उसे घेरे में ले सकती है।

प्रश्न :8- क्या अल्लाह तआला को आँखों द्वारा देखा जा सकता है?

उत्तर : मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि संसार में अल्लाह तआला को नहीं देखा जा सकता है, पर मोमिन बन्दे परलोक में मैदाने मद्शर में और जन्नत में अल्लाह तआला को देखेंगे, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“उस दिन बहुत से चेहरे रौनक वाले और तरो-ताज़ा होंगे, अपने रब की ओर देख रहे होंगे।” 1/4सूरतुल कियामा :२२½

प्रश्न :9- अल्लाह तआला के नाम और गुण जानने से क्या लाभ होगा?

उत्तर : अल्लाह तआला ने बन्दे पर सब से पहले अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने को फ़र्ज किया है, तो जब लोग अपने रब के बारे में जान लेंगे तो कमा हक्कुहू (यथायथ)उसकी इबादत करेंगे, उसका फ़रमान है :

“आप जान लें कि अल्लाह के सिवाय कोई सत्य उपास्य नहीं, और अपने पापों की बख़्शिश मांगा करें।” 1/4सूरत मुहम्मद :१६½

चुनाँचे अल्लाह का उसकी विस्तार रहमतों के साथ ज़िक्र करना उससे उम्मीद रखने का कारण है, और उसकी कठोर सज़ाओं का चर्चा उससे ख़ौफ़ को वाजिब करता है, और अकेले उसके मुन्इम (एहसान करने वाला) होने का चर्चा उसके शुक्र को लाज़िम करता है।

और अल्लाह तआला के नामों और उसके गुणों द्वारा उसकी इबादत करने का अर्थ यह है कि : सेवक को इन चीज़ों की जानकारी हो, उनके अर्थ की समझ हो, और उनके अनुसार उसका अमल हो, अल्लाह तआला के कुछ नाम और गुण ऐसे हैं कि जिन्हें अपनाना बन्दे के लिए प्रशंसा का पात्र है, जैसे : इल्म, दया और इंसाफ़, और कुछ ऐसे हैं जिन को अपनाने से बन्दे की मज़्मत होती है, जैसे : उलूहियत (इबादत की योग्यता) तजब्बुर (ग़ल्बे वाला होना) तकब्बुर (बड़ाई वाला होना), और बन्दों के कुछ गुण ऐसे हैं जिन पर उनकी प्रशंसा होती है, और जिनका उन्हें आदेश दिया जाता है, जैसे : बन्दगी, फ़कीरी, मुस्ताजी, आजिज़ी, सवाल इत्यादि। लेकिन यह गुण अल्लाह तआला के नहीं हो सकते, और अल्लाह तआला के पास सबसे अधिक महबूब (पसन्दीदा) व्यक्ति वह है जो ऐसे गुण अपनाए जिन्हें अल्लाह तआला पसन्द

करता है, और मबूज़ (ना-पसन्दीदा) व्यक्ति वह है जो ऐसे गुण अपनाए जिन्हें अल्लाह तआला ना-पसन्द करता है।

अल्लाह तआला का फ़रमान है : “और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं सो इन नामों से उसी को पुकारा करो।” 1/4सूरतुल आराफ :9८०1/2

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि आप ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला के निन्नान्चे नाम हैं, सौ में एक कम, जिसने इसके अनुसार अमल किया वह जन्नत में जाएगा।” (बुख़ारी और मुस्लिम) कुरआन और सहीह हदीस का गहन अध्ययन करने वाला इन नामों को शुमार करके उसके अनुसार अमल कर सकता है, तो वह अल्लाह : अर्रह्मान्, अर्रहीम्, अल्मलिक्, अल्कुहूस, अस्सलाम्, अल्मू’मिन्, अल्मुहैमिन्, अल्अज़ीज़्, अल्जब्बार्, अल्मुतकब्बिर्, अल्ख़ालिक्, अल्बारिअ्, अल्मुसव्विर्, अल्अव्वल्, अल्आख़िर्, अज़्ज़ाहिर्, अल्बातिन्, अस्समी’अ्, अल्बसीर्, अल्मौला, अन्नसीर्, अल्अफू, अल्कदीर्, अल्लतीफ्, अल्ख़बीर्, अल्वित्र, अल्जमील्, अल्हयीय्, अस्सितीर्, अल्कबीर्, अल्मुतआल्, अल्वाहिद, अल्कह्हार्, अल्हक्क, अल्मुबीन्, अल्कवी, अल्मतीन्, अल्हैय्, अल्कैयूम्, अल्अली, अल्अज़ीम्, अश्शकूर, अल्हलीम्, अल्वासिअ्, अल्अलीम्, अत्तव्वाब्, अल्हकीम्, अल्गनी, अल्करीम्, अल्अहद्, अस्समद्, अल्करीब्, अल्मुजीब्, अल्गफूर, अल्वदूद्, अल्वली, अल्हमीद्, अल्हफीज़्, अल्मजीद्, अल्फ़त्ताह्, अश्शहीद्, अल्मुक़दिम्, अल्मुअख़िख़र्, अल्मलीक्, अल्मुक्तदिर्, अल्मुस’अइर्, अल्काबिज़्, अल्बासिर्, अर्रज़िक्, अल्काहिर्, अद्वैयान्, अश्शाकिर्, अल्मन्नान्, अल्कादिर्, अल्ख़ल्लाक्, अल्मालिक्, अर्रज़ाक्, अल्वकील्, अर्रकीब्, अल्मुहसिन्, अल्हसीब्, अश्शाफी, अर्रफीक्, अल्मोअती, अल्मुकीत्, अस्सैइद्, अत्तैइब्, अल्हकम, अल्अक्रम्, अल्बर्, अल्गफ़फ़ार, अर्रऊफ़, अल्वहहाब्, अल्जवाद्, अस्सुबूह्, अल्वारिस्, अर्रब्, अल्आ’ला, और अल्इलाह् है।

हदीस में ‘अहसाहा’ का अर्थ : अल्लाह के नामों के अनुसार अमल करना, अतः जब बन्दा (अल्हकीम्) कहे, तो अपने सारे कामों को अल्लाह के हवाले कर दे, इसलिए के सारे काम उसकी हिक्मत अनुसार ही होते हैं, और जब (अल्कुहूस) कहे, तो दिमाग में यह बात लाए कि अल्लाह तआला हर तरह की कमी से पाक है, और इन नामों के अनुसार अमल करने का अर्थ यह भी है कि इनकी बड़ाई और महानता बयान की जाए और इनके द्वारा दुआ की जाए।

प्रश्न :10- अल्लाह के नाम और उसके गुण में क्या फ़र्क हैं?

उत्तर : पनाह लेने और कसम खाने में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन में दोनों में फ़र्क है, जिन में से महत्वपूर्ण यह हैं :

❶ अल्लाह तआला के नामों के द्वारा दुआ करना, और उसके नामों के आगे अब्द बढ़ाकर नाम रखना जायज़ है, किन्तु उसके गुणों के द्वारा जायज़ नहीं, जैसे (अब्दुल् करीम) नाम रखना जायज़ है, लेकिन (अब्दुल् करम) नाम रखना जायज़ नहीं है, और (या करीम) कह कर दुआ करना जायज़ है, लेकिन (या करमल्लाह) कह कर दुआ करना जायज़ नहीं है।

❷ अल्लाह के नामों द्वारा उसके गुण साबित होते हैं जैसे उसके नाम (अर्रह्मान) द्वारा उसकी सिफ़त (रहमत) साबित हुई। लेकिन उसकी सिफ़तों द्वारा उसके ऐसे नाम साबित नहीं किए जा सकते जिनका चर्चा कुरआन और हदीस में न हुवा हो, जैसे उसकी सिफ़त (अल्इस्तिवा) द्वारा उसके लिए (अल्मुस्तवी) नाम नहीं रखा जा सकता।

❸ अल्लाह तआला के कामों के द्वारा उसके ऐसे नाम साबित नहीं किए जासकते जिनका चर्चा कुरआन और हदीस में न हुवा हो, अल्लाह तआला के कामों में से (अल्ग़ज़ब) गुस्सा होना है, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह तआला के नामों में से एक (अल्ग़ाज़िब) है, अलबत्ता उसके कामों से उसकी सिफ़त साबित होगी, तो उसके लिए हम (ग़ज़ब) गुस्सा होने की सिफ़त साबित करेंगे, इसलिए कि गुस्सा होना भी उसके कामों में से है।

प्रश्न :11- फ़रिश्तों पर ईमान लाने का अर्थ क्या है?

उत्तर : उन पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, और इस बात को भी कि अल्लाह तआला ने उनको अपनी इबादत और अपने आदेश-पालन के लिए पैदा किया है,

“उसके सम्मानित बन्दे हैं, किसी बात में अल्लाह पर पहल नहीं करते, बल्कि उसके आदेश पर कारबन्द हैं।” 1/4सूरतुल अम्बिया :२६ 1/2

फरिश्तों पर ईमान लाना चार चीज़ों को शामिल है :

❶ उनके अस्तित्व पर ईमान लाना।

❷ उन में से जिनके नाम को जानते हैं उन पर (उनके नामों के साथ) ईमान लाना, जैसे जिब्रईल।

❸ उनके जिन गुणों को जानते हैं उन गुणों पर ईमान लाना, जैसे उनकी महान ख़िल्क़त।

④ उनके जिन खास कामों को जानते हैं उन पर ईमान लाना। जैसे मलकुलमौत पर ईमान लाना कि उनका काम जान निकालना है।

प्रश्न :12- कुरआन क्या है?

उत्तर : कुरआन अल्लाह तआला का कलाम है, जिसकी तिलावत इबादत है, उसी से आरम्भ हुवा है, और उसी की ओर पलट जाएगा, हकीकत (वास्तव) में अक्षर और आवाज़ के साथ अल्लाह तआला ने उसे बोला हैं, जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से उसे सुना फिर उसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँचाया, और सारी आसमानी किताबें अल्लाह तआला का कलाम हैं।

प्रश्न :13- क्या हम कुरआन को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत (हदीसों) से बेनियाज़ हो सकते हैं?

उत्तर : यह जायज़ नहीं, बल्कि सुन्नत के अनुसार अमल करना ज़रूरी है, अल्लाह तआला ने इसका आदेश देते हुए फ़रमाया:

“और तुम्हें जो कुछ रसूल दें उसे ले लो, और जिससे रोकें रुक जाओ।” $\frac{1}{4}$ सूरतुल हश्र : $\frac{8}{2}$ और सुन्नत, कुरआन की तफ़सीर है, दीन की तफ़सील जैसे नमाज़ के बारे में इस के बिना नहीं जाना जा सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “सुन लो! मुझे किताब $\frac{1}{4}$ कुरआन $\frac{1}{2}$ दी गई है, और उसके साथ उसी जैसी (सुन्नत), सुन लो! करीब है कि कोई आसूदा आदमी अपनी मसनद पर टेक लगाए हुए कहे : तुम मात्र इस कुरआन को पकड़े रहो, और इसमें जो चीज़ हलाल पाओ उसे हलाल जानो, और जो चीज़ हराम पाओ उसे हराम जानो।”। (अबू दाऊद)

प्रश्न :14- रसूलों पर ईमान लाने का क्या अर्थ है?

उत्तर : रसूलों पर ईमान लाने का अर्थ यह विश्वास रखना है कि अल्लाह तआला ने हर समुदाय में उन्हीं में से एक रसूल मात्र अपनी इबादत की ओर दावत देने, और ग़ैरों की इबादत को नकारने के लिए भेजे हैं, और वे सब सच्चे, भले, इज़्ज़त वाले, नेक, मुत्तकी, अमीन, हिदायत याफ़ता, और मार्ग-दर्शक हैं, उन्होंने हम तक धर्म को पहुँचाया, वे अल्लाह के सब से अफ़जल मख़्लूक हैं, और वे पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह के साथ शिर्क करने से पाक हैं।

प्रश्न :15- आख़िरत के दिन पर ईमान लाने का क्या अर्थ है?

उत्तर : इस बात पर पक्का यकीन रखना कि क़ियामत क़ायम होगी, और साथ ही मौत पर, मौत के बाद क़ब्र की परीक्षा (आज़माइश), क़ब्र के अज़ाब और उसकी नेमत,

सूर में फूँक मारा जाना, लोगों का अपने रब के सामने खड़ा होना, नामए आमाल को फैलाया जाना, मीज़ान (तराजू) और पुल-सिरात का कायम होना, हौज़े कौसर और शफ़ाअत , फिर उसके बाद जन्नत या जहन्नम की ओर जाने पर ईमान रखना।

प्रश्न :16- कियामत के दिन शफ़ाअत की कितनी किस्में होंगी?

उत्तर : शफ़ाअत कई प्रकार की होगी, इनमें सब से बड़ी शफ़ाअत ① (शफ़ाअते उज़्मा) होगी, जो कि हश्र के मैदान में होगी, बाद इसके कि लोग पचास हजार साल तक ठहरे रहेंगे, अपने बीच फैसले के इन्तिज़ार में होंगे, उस समय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब के पास शफ़ाअत करेंगे कि लोगों के बीच फैसला कर दिया जाए, और यह शफ़ाअत हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए खास है, और यही मक़ामे मद्मूद है जिसका उनसे वादा किया गया है। ② दूसरी शफ़ाअत जन्नत का दरवाज़ा खोलवाने के लिए होगी, और सब से पहले हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जन्नत का दरवाज़ा खोलवाएंगे, और सारी उम्मतों में सब से पहले उन्हीं की उम्मत जन्नत में जाएगी। ③ तीसरी शफ़ाअत कुछ तौहीद परस्तों के बारे में होगी जिनके जहन्नम में जाने का आदेश होगया होगा, कि उन्हें जहन्नम में न भेजा जाए। ④ तौहीद परस्तों में से अपने गुनाहों के कारण जो जहन्नम में डाले गए होंगे, उन्हें जहन्नम से निकालने की शफ़ाअत । ⑤ कुछ जन्नतियों के दर्जे बुलन्द करने के लिए शफ़ाअत । आखिरी तीन शफ़ाअतें हमारे नबी के लिए खास नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों पर मुक़द्दम होंगे, और इस सफ़ में आप के बाद दूसरे नबी, फ़रिश्ते, नेक लोग और शहीद लोग होंगे। ⑥ कुछ लोगों को बिना हिसाब लिए जन्नत में दाख़िल किए जाने की शफ़ाअत । ⑦ कुछ काफ़िरों के अज़ाब में कमी करने के लिए शफ़ाअत , और यह हमारे नबी के लिए खास होगी वह अपने चचा अबू तालिब के अज़ाब में कमी के लिए शफ़ाअत करेंगे। फिर अल्लाह तआला अपनी रहमत से बिना किसी की शफ़ाअत के जहन्नम से ऐसे लोगों को निकाल देगा, जिनकी मृत्यु तौहीद पर हुई थी, और उन्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाख़िल करेगा। ऐसे लोगों की संख्या केवल अल्लाह ही जानता है।

प्रश्न :17- क्या ज़िन्दा लोगों से सहायता मांगना या शफ़ाअत चाहना जायज़ है?

उत्तर : हाँ, ज़िन्दा लोगों से सहायता मांगना जायज़ है, बल्कि शरीअत ने एक दूसरे की मदद करने पर उभारा है, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“नेकी और तक्वा के कामों में एक दूसरे का सहयोग करो।” $\frac{1}{4}$ सूरतुल मायदा: $2\frac{1}{2}$ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला अपने बन्दे की मदद में होता है जब तक बन्दा अपने भाई की मदद में लगा रहता है।” (मुस्लिम) और शफ़ाअत की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है, इसका अर्थ है किसी के लिए माध्यम बनना। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“और जो व्यक्ति किसी सवाब और भले काम करने की सिफ़ारिश करे उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा।” $\frac{1}{4}$ सूरतुन्निसा : $25\frac{1}{2}$ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “शफ़ाअत करो अज़्र पाओगे।” (बुख़ारी) और इसके जायज़ होने के लिए कुछ शर्तें हैं : **1** शफ़ाअत ज़िन्दा व्यक्ति से तलब की जाए; क्योंकि मुर्दा स्वयं अपने को लाभ नहीं पहुँचा सकता तो दूसरों को क्या पहुँचाएगा? **2** वह जो बात कह रहा हो समझ में आ रही हो। **3** जिस व्यक्ति से शफ़ाअत तलब की जा रही है, वह हाज़िर हो। **4** शफ़ाअत ऐसी चीज़ के बारे में हो जो आदमी के बस में हो। **5** सांसारिक चीज़ों के बारे में शफ़ाअत हो। **6** जायज़ काम के लिए शफ़ाअत हो जिस में कोई हानि न हो।

प्रश्न :18- वसीले कितने प्रकार के हैं?

उत्तर : वसीले के दो प्रकार हैं : **9-जायज़ वसीला** : और इसकी तीन किसमें हैं :

1 अल्लाह के नामों और उसके गुणों द्वारा वसीला पकड़ना। **2** बन्दे का अपने नेक अमल द्वारा वसीला पकड़ना, जैसे ग़ार वाले तीनों व्यक्तियों ने किया। **3** किसी उपस्थित ज़िन्दा नेक मुस्लिम व्यक्ती की दुआ द्वारा वसीला पकड़ना जिसकी दुआ के स्वीकार होने की आशा हो। **2-हराम वसीला** : और यह दो प्रकार के हैं : **1** अल्लाह तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी वली के जाह-व-जलाल के माध्यम से सवाल करना, जैसे यह कहना कि ऐ अल्लाह! मैं तेरे नबी के जाह-व-जलाल के वसीले, या हुसैन के जाह-व-जलाल के वसीले से तुझ से सवाल करता हूँ। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और नेक लोगों के जाह-व-जलाल अल्लाह तआला के नज़दीक महान हैं, लेकिन सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जो कि हर भलाई के काम में आगे आगे रहते थे क़हत-साली (अकाल) पड़ जाने के अवसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जाह-व-जलाल का वसीला नहीं पकड़ा जबकि आप की क़ब्र उनके पास मौजूद थी। बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ से वसीला पकड़ा। **2** नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या किसी वली की क़सम खाकर अल्लाह तआला से अपनी हाजत को मांगना। जैसे यह कहना ऐ अल्लाह! मैं तेरे फ़लाँ वली के वसीले से, या तेरे फ़लाँ नबी के हक़ के वसीले से तुझ से सवाल करता हूँ। और यह हराम इसलिए है कि मख़्लूक की मख़्लूक पर क़सम खाना हराम है, तो अल्लाह को किसी मख़्लूक की क़सम देना और अधिक वर्जित है। और दूसरी बात यह है कि मात्र अल्लाह की इताअत कर लेने से बन्दे का अल्लाह पर कोई हक़ वाजिब नहीं हो जाता।

प्रश्न :19- मुर्दों या ग़ायब लोगों को पुकारने का क्या हुक़म है?

उत्तर : मुर्दों या ग़ायब लोगों को पुकारना (उनसे दुआ करना) शिर्क है; इसलिए कि दुआ इबादत है, और इस का हक़दार मात्र अल्लाह तआला है। उसका फ़रमान है :
 “जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, यदि तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और यदि (मान लिया कि) सुन भी लें, तो तुम्हारी फ़र्याद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़ियामत के दिन तुम्हारे शिर्क को साफ़ नकार देंगे”। 1/4सूरतुल फ़ातिर :93½

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिसकी मौत इस अवस्था में हुई कि वह अल्लाह के सिवा किसी दूसरे शरीक को पुकारता था तो वह जहन्नम में जाएगा।” (बुख़ारी) और मुर्दे से कैसे मांगा जा सकता है जबकि वह स्वयं ज़िन्दा व्यक्ति की दुआ का मुहताज है?! और मौत के कारण उसके कर्म का भी अन्त हो गया है सिवाय लोगों के द्वारा उसके लिए किए जाने वाली दुआ इत्यादि के, जबकि ज़िन्दा व्यक्ति अभी कर्म करने के समय में है, और मुर्दे के लिए जब दुआ की जाती है तो उससे वह खुश होता है, तो उस मुहताज व्यक्ति से कैसे दुआ की जा सकती है?! और जो व्यक्ति मौजूद नहीं ग़ायब है वह तो अपने से दूर वाले की सुन ही नहीं सकता तो भला स्वीकार कैसे करेगा?!

प्रश्न :20- क्या जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं?

उत्तर : हाँ दोनों के दोनों मौजूद हैं। अल्लाह ने इन्हें लोगों को पैदा करने से पहले पैदा किया, और यह दोनों न तो फ़ना होंगे न मिटेंगे, अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़ल से कुछ लोगों को जन्नत के लिए पैदा किया है, और अपने न्याय और अद्ल से कुछ लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है, और हर किसी के लिए वह चीज़ आसान कर दी गई है जिस के लिए वह पैदा किया गया है।

प्रश्न :21- तक्दीर पर इमान लाने का क्या अर्थ है?

उत्तर : इस बात पर पक्का विश्वास करना कि हर भलाई और बुराई अल्लाह तआला के फैसले और उसकी लिखी हुई तक्दीर के अनुसार होती है, और वह जो चाहता है करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “यदि अल्लाह तआला आकाश वालों, और धरती वालों को अज़ाब दे, तो वह उन्हें अज़ाब देने में ज़ालिम नहीं होगा, और यदि उन पर रहम करे तो उसकी रहमत उनके कर्मों से बेहतर होगी, और यदि तूने अल्लाह के रास्ते में उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च किया तो अल्लाह तआला उसे स्वीकार नहीं करेगा यहाँ तक कि तू तक्दीर पर ईमान ले आ और यह जान ले कि जो चीज़ तुझे पहुँची है वह तुझ से टलने वाली नहीं थी, और जो चीज़ तुझ से टल गई वह तुझे पहुँचने वाली नहीं थी। और यदि इसके सिवा (दूसरे अक़ीदे) पर तेरी मौत हुई तो तू अवश्य जहन्नम में जाएगा।” (अहमद और अबू दाऊद) और तक्दीर पर ईमान लाना में ४ चीज़ें शामिल हैं :

- ❶ इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तआला को सारी वस्तुओं की स्पष्ट जानकारी है।
- ❷ इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तआला ने उन्हें लौहे मस्फूज़ में लिख रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला ने आकाश और धरती को पैदा करने के ५० हज़ार वर्ष पहले मख़्लूकों की तक्दीर लिख दी है।” (मुस्लिम)
- ❸ अल्लाह तआला की लागू होने वाली मशीयत (चाहत) पर ईमान लाना जिसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती और उसकी शक्ति पर ईमान लाना जिसे कोई चीज़ बेबस नहीं कर सकती, वह जो चाहता है, होता है, और जो नहीं चाहता, नहीं होता।
- ❹ इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह तआला ही ख़ालिक (पैदा करने वाला) है और सारी चीज़ों को वुजूद में लाने वाला है, और उसके सिवाय सारी चीज़ें उसकी मख़्लूक हैं।

प्रश्न :22- क्या मख़्लूक के पास भी वास्तविक शक्ति, चाहत और इच्छा है?

उत्तर : हाँ, इन्सान के पास भी वास्तविक चाहत, इच्छा और मर्ज़ी है, लेकिन यह अल्लाह की चाहत के दायरे के अन्दर है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

“तुम अल्लाह तआला के चाहे बिना कुछ भी नहीं चाह सकते।” (सूरतुत्तक्वीर :२६) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “कर्म करो; इसलिए कि हर व्यक्ति पर वह कर्म आसान कर दिया गया है जिस के लिए वह पैदा किया गया है”। (बुख़ारी और मुस्लिम) और अल्लाह तआला ने हमें शुद्ध और अशुद्ध में फ़र्क करने

के लिए बुद्धि, आँख और कान दिए हैं, तो क्या कोई ऐसा बुद्धिमान भी है जो चोरी करने के बाद कहे कि अल्लाह ने हम पर चोरी लिख दी है?! और यदि वह ऐसी बात कहेगा भी तो लोग उसके इस उज़्र को स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि उसे सज़ा देंगे और कहेंगे : अल्लाह तआला ने तुम पर सज़ा भी लिखी है, तो तक्दीर को हुज्जत और बहाना बनाना जायज़ नहीं है बल्कि वास्तव में यह तक्दीर को झुठलाना है। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“मुशिरक कहेंगे कि यदि अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बुजुर्ग शिक नहीं करते, न किसी चीज़ को ह़राम बनाते, इसी तरह इनके पहले के लोग झुठलाए।” (सूरतुल अंआम :)

प्रश्न :23– एहसान क्या है?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्रईल अलैहिस्सलाम के प्रश्न का उत्तर देते हु फ़रमाया: “तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, और यदि तुम नहीं देख रहे हो तो वह तुम्हें देख रहा है”। (बुख़ारी और मुस्लिम और यह लफ़ज़ मुस्लिम का है)। और दीन के तीनों मर्तबों में यह सब से ऊँचा मर्तबा है।

प्रश्न :24– नेक कर्म के स्वीकार होने की क्या शर्तें हैं?

उत्तर : इसकी तीन शर्तें हैं : ❶ अल्लाह और उसकी तौहीद पर ईमान लाना; अतः मुशिरक का कर्म स्वीकार नहीं होता। ❷ इख़्लास, अर्थात् कर्म द्वारा मात्र अल्लाह की मर्ज़ी चाही जाए। ❸ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुताबअत, वह इस तरह की आप की सुन्नत के अनुसार कर्म किया जाए। अतः आप के बताए हुए तरीके मुताबिक ही अल्लाह की इबादत की जाए। और यदि इनमें से कोई भी एक शर्त नहीं पाई गई तो उसका कर्म रद्द कर दिया जाएगा, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“और उन्होंने जो जो कर्म किए थे हमने उनकी ओर बढ़कर उन्हें कणों (ज़रों) की तरह तहस-नहस कर दिया”। (सूरतुल फ़र्क़ान :२३)

प्रश्न :25– यदि हमारे बीच इदितलाफ़ होजाए तो उसका हल कहाँ है?

उत्तर : उसके हल के लिए हम शरीअत की ओर लौटें, इस बारे में हुक्म (फ़ैसला) अल्लाह की किताब और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों में है, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“फिर यदि किसी बात में इख़्तिलाफ़ करो तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ”। (सूरतुन्निसा :५६) और नबी ने फ़रमाया: “मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़े जाता हूँ जब तक तुम इन्हें मज़बूती से थामे रहोगे गुम्राह नहीं होंगे : एक अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज़ है उसके रसूल की सुन्नत”। (हाकिम)

प्रश्न :26– तौहीद की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : तीन किस्में हैं : ① **तौहीदुर्खूबूबिया** : अल्लाह तआला को उसके कर्मों में अकेला मानना, जैसे : पैदा करना, रोज़ी देना और जीवन देना इत्यादि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने से पहले भी काफ़िर तौहीद की इस किस्म का इज़्कार करते थे। ② **तौहीदुल् उलूहीया** : इबादतों के द्वारा अल्लाह तआला को अकेला मानना। जैसे; नमाज़, नज़्र और नियाज़ और सद्क़े इत्यादि। रसूलों को इसी कारण भेजा गया कि मात्र अल्लाह तआला की इबादत की जाए। और इसी कारण किताबें भी उतारी गईं। ③ **तौहीदुल् अस्मा वस्सिफ़ात** : बिना तहरीफ़, ता’तील, तक्ईफ़ और तम्सील के अल्लाह तआला के लिए उसके अच्छे नामों और ऊँचे गुणों को जिस तरह स्वयं अल्लाह ने और उसके रसूल ने साबित किए हैं साबित करना।

प्रश्न :27– वली कौन है?

उत्तर : नेक और परहेज़गार मोमिन जो अल्लाह से डरता हो वही वली है। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“याद रखो अल्लाह के मित्रों पर न कोई डर है न वे दुखी होते हैं, ये वे लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाह से परहेज़ करते हैं।” (सूरत यूनुस :62-63)

और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मेरा वली अल्लाह है और नेक मोमिन हैं”। (बुख़ारी और मुस्लिम)

प्रश्न :28– सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का हमारे ऊपर क्या हक़ है?

उत्तर : हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उनसे महब्बत करें, उनके नामों के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुम कहें, अपने दिलों और जुबानों को उनके बारे में साफ़ सुथरा रखें। उनकी प्रतिष्ठाओं को आम करें, उनकी गलतियों और उनके बीच होने वाले इख़्तिलाफ़ पर चुप रहें, वे गलतियों से मा’सूम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इज्तिहाद किया, तो उन में से जो हक़ को पहुँचा उसे दो सवाब मिलेगा, और जिन से गलती हुई उन्हें उनके इज्तिहाद पर एक अज़्र मिलेगा। और उनकी गलतियाँ माफ़ हैं, और यदि उनसे गलतियाँ हुई भी तो उनकी नेकियाँ उनके गुनाहों को मिटा देंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम मेरे सहाबए किराम को गालियाँ मत दो, क़सम है उस हस्ती की जिसके हाथ में मेरी जान है यदि तुम में से कोई उहुद के बराबर भी सोना ख़र्च करे तो उनके ख़र्च किए हुए मुद या आधे मुद के बराबर भी नहीं पहुँच सकता”। (बुख़ारी और मुस्लिम)

प्रश्न :29- क्या अल्लाह के रसूल की तारीफ़ में मुबालगा करना जायज़ है?

उत्तर : इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मख़्लूक में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ़ में सीमा से आगे बढ़ना जायज़ नहीं जैसा कि नसारा, ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में सीमा से आगे बढ़ गए थे ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें इस से रोका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “तुम मेरी तारीफ़ में हद से आगे न बढ़ना जिस तरह कि ईसाई लोग इब्ने मर्यम की तारीफ़ में हद से आगे बढ़ गए थे, मैं अल्लाह का बन्दा हूँ; इसलिए मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल कहो”। (बुख़ारी)

प्रश्न :30- डर की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : ४ किस्में हैं : ① **वाजिब** : अल्लाह तआला से डरना वाजिब है, इसलिए कि इस्लाम दो बुनियादों पर कायम है : पूरी महबूत और पूरा डर।

② **बड़ा शिर्क** : मुशिरकों के माबूदों (पूज्यों) से डरना कि वे उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुँचा सकते हैं।

③ **हराम** : लोगों के डर से किसी वाजिब काम को छोड़ देना या हराम काम करना।

④ **जायज़** : फ़ित्री डर जैसे भेड़िए इत्यादि से डरना।

प्रश्न :31- तवक्क़ुल की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : ३ किस्में हैं : ① **वाजिब** : नफ़ा और नुक़सान, लाभ और हानि सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह पर भरोसा करना।

② **हराम** : और इसकी दो किस्में हैं :

१- **बड़ा शिर्क** : पूरा भरोसा मात्र अस्बाब (माध्यमों) पर करना कि केवल इन्हीं के द्वारा नफ़ा और नुक़सान पहुँचता है।

२- **छोटा शिर्क** : जैसे रोज़ी के बारे में किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, मात्र उसे ही रोज़ी देने वाला न समझे पर उसे सबब से उँचा दर्जा दे।

③ **जायज़:** दूसरे व्यक्ति पर ऐसी चीज़ों के करने के बारे में भरोसा रखना जिसकी वह शक्ति रखता हो।

प्रश्न :32- महबबत की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : ४ किस्में हैं : ① अल्लाह की महबबत, जो कि ईमान की बुनियाद है।

② अल्लाह तआला के लिए महबबत : इज्माली तौर पर सारे मोमिनों से दोस्ती रखना और उनसे महबबत करना, अल्बत्ता प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग अल्लाह तआला से उसकी नज़दीकी और इताअत के अनुसार महबबत की जाएगी। और यह वाजिब है।

③ अल्लाह तआला जैसी महबबत : अल्लाह तआला की महबबत में दूसरों को साझी करना, जैसा कि मुशिरकों का अपने देवताओं से महबबत करना, तो यही असल शिर्क है।

④ फ़ित्री महबबत : जैसे माँ बाप, और बच्चों से महबबत, खाने इत्यादि से महबबत। और यह जायज़ है।

प्रश्न :33- दोस्ती और दुश्मनी के लिहाज़ से लोगों की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : इस लिहाज़ से लोगों की तीन किस्में हैं :

① जिन से ख़ालिस दोस्ती की जाए, ऐसी दोस्ती जिसमें दुश्मनी शामिल न हो, और यह मात्र ख़ालिस मोमिनों से होगी, जैसे अम्बिया और सिद्दीकीन से, और इनमें हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ और सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सूची में सब से ऊपर हैं।

② जिन से बिलकुल दोस्ती जायज़ नहीं, बल्कि उनसे बराअत की जाएगी। और यह हर प्रकार के काफ़िर हैं, चाहे वे यहूदी और नज़रानी हों या मुशिरक और मुनाफ़िक़।

③ जिन से उनके गुणों के कारण दोस्ती की जाएगी और अवगुणों के कारण बराअत। और यह पापी मुसलमान हैं, जिनसे इनके ईमान के कारण दोस्ती की जाएगी, और इनके पाप के कारण बैर रखा जाएगा।

काफ़िरों से बराअत इस प्रकार होगी कि उनसे बैर रखा जाए, उनसे सलाम करने में पहल न किया जाए, उनके सामने न तो झुका जाए और न ही उनसे भयभीत हुवा जाए, और उनके देश से हिजरत की जाए।

मोमिनों से दोस्ती इस प्रकार होगी कि यदि शक्ति हो तो मुस्लिम देश की ओर हिजरत की जाए, जान और धन से उनकी सहायता की जाए, उन पर आने वाली मुसीबतों पर दुःखी हुवा जाए, और उनके लिए भलाई पसन्द की जाए।

काफ़िरों से दोस्ती की दो किस्में हैं :

① ऐसी दोस्ती जिसके कारण व्यक्ति इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। जैसे मुसलमानों के विरुद्ध उनकी सहायता करना, उन्हें काफ़िर न कहना, या उनके काफ़िर होने में शक करना।

② ऐसी दोस्ती जो कि बड़े पाप, हराम और मक़ूह के दायरे में आती है। जैसे उनके त्योहारों में शामिल होना, उन्हें उन पर मुबारकबादी देना, या उनकी छवि (मुशाबहत) अपनाना। लेकिन जिन काफ़िरों से लड़ाई न हो उनसे अच्छा बर्ताव करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे उनके कम्ज़ोरों के साथ नरमी बरतना, तथा कृपा का प्रदर्शन करते हुए, डरते हुए नहीं, उनके साथ नरम बातें करना। तो अल्लाह तआला ने इसका आदेश दिया है :

“जिन लोगों ने तुम से धर्म के बारे में युद्ध नहीं किया और तुम्हें देश से नहीं निकाला, उनके साथ अच्छा सुलूक और एहसान करने, और न्याय वाला बर्ताव करने से अल्लाह तआला तुम्हें नहीं रोकता।” (सूरतुल मुमतहिना :८) और उनसे दुश्मनी और बैर रखने का भी आदेश दिया है :

“हे वे लोग जो ईमान लाये हो! मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाओ कि तुम दोस्ती से उनकी ओर संदेश भेजो।” (सूरतुल मुमतहिना :९) तो उनसे कीना और बैर रखने के साथ साथ उनके मामलों में उनके साथ न्याय किया जा सकता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना के यहूदियों के साथ किया।

प्रश्न :34- क्या अहले किताब (यहूदी और ईसाई) मोमिन हैं?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बे'सत के बाद इस्लाम धर्म के अतिरिक्त दूसरे धर्मों को मानने वाले चाहे वे यहूदी और ईसाई हों या कुछ और सब के सब काफ़िर हैं, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“और जो व्यक्ति इस्लाम के सिवाय किसी दूसरे धर्म को अपनाए, तो उसका धर्म स्वीकार नहीं होगा और वह आख़िरत में घाटा उठाने वालों में से होगा।” (सूरत आल इमरान :८५) और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति उनके काफ़िर होने का अक़ीदा न रखे या उनके धर्म के बातिल होने के बारे में शक करे तो वह काफ़िर है; इसलिए कि उसने अपने कुफ़्र के कारण अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का विरोध किया। और अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“और सभी गुटों में से जो भी इसका इन्कारी हो तो उसके अन्तिम वादे की जगह नरक है।” (सूरत हूद :7) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “उस हस्ती

की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति वह चाहे यहूदी या ईसाई हो मेरे बारे में सुनने के बाद मुझ पर ईमान नहीं लाया तो वह जहन्नम में जाएगा।” (मुस्लिम)

प्रश्न :35- क्या काफ़िरों पर अन्याय करना जायज़ है?

उत्तर : अन्याय करना हराम है क्योंकि हदीसे कुद्सी में अल्लाह तआला का कथन है : “मैं ने अपने आप पर अत्याचार हराम कर लिया है, और इसे तुम्हारे ऊपर भी हराम किया है इसलिए तुम अत्याचार न करो।” (मुस्लिम) काफ़िरों के साथ व्यवहार किए जाने के लिहाज़ से उन की दो किस्में हैं :

① जिनके साथ मुआहदा (समझौता) हो, और इनकी तीन किस्में हैं : **9- जिम्मी :** यह वे लोग हैं जो मुस्लिम मुल्क में रहने के लिए जिज़्या (टैक्स) दिया करते हैं, और इन्होंने यह मुआहदा किया हो कि इन पर इस्लामी आदेश लागू होगा। तो इन्हें हमेशा के लिए पनाह दी जाएगी। **2- मुआहद :** जिन्होंने मुसलमानों के साथ उनके देश में बाकी रहने के लिए सुलह कर लिया हो। तो इन पर इस्लामी आदेश तो लागू नहीं होंगे, लेकिन इन्हें मुसलमानों से लड़ाई करने से बचना होगा। जैसा कि यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में थे। **3- मुस्ता'मन :** जो किसी काम के लिए मुसलमानों के देश में आए हों, रहने की इच्छा न हो, जैसे एलची, व्यापारी, सैयाह, पर्यटक, पनाह चाहने वाले और इन जैसे लोग। तो इन्हें क़त्ल नहीं किया जासकता, और न ही इन से जिज़्या लिया जाएगा, पनाह चाहने वाले को इस्लाम की दावत दी जाएगी यदि वह स्वीकार कर लिया तो अच्छा है, और यदि वह अपनी शान्ति-भवन को पहुँचना चाहता है तो उसे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा।

② हर्बी काफ़िर : जिनका मुसलमानों से न तो कोई मुआहदा हो, और न ही जिन्हें शान्ति प्रदान की गई हो, बल्कि वे मुसलमानों से लड़ रहे हों, या इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में लड़ाई का एलान कर चुके हों, या इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की मदद करते हों, तो इन से लड़ाई की जाएगी और इन्हें मारा जाएगा।

प्रश्न :36- बिद्अत का अर्थ क्या है?

उत्तर : इब्ने रजब कहते हैं : “बिद्अत हर उस चीज़ का नाम है जिसे धर्म के अन्दर बे-बुनियाद ईजाद कर लिया गया हो, और यदि शरीअत में उसकी बुनियाद मौजूद है तो फिर वह बिद्अत नहीं है। चाहे उसे लुगत में बिद्अत कहा जाता हो”।

प्रश्न :37- क्या धर्म में अच्छी और बुरी बिद्अत भी पाई जाती है?

उत्तर : आयतों और हदीसों में बिद्अत की निंदा की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे आदेश के विरुद्ध हो तो वह अस्वीकृत है।” (बुख़ारी और मुस्लिम) और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “धर्म में हर नयी ईजाद की जाने वाली चीज़ बिद्अत है, और हर बिद्अत गुम्राही है।” (अबू दाऊद) और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बिद्अत के बारे में कहते हैं कि “जिस ने धर्म में बिद्अत ईजाद की और उसे उसने अच्छा समझा, तो अवश्य उसने ऐसा सोचा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रिसालत में ख़ियानत की; क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है : “आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी ने’मतें पूरी कर दी।” (सूरतुल माईदा :३)

और कुछ हदीसों ऐसी आई हैं जिन्हें लुग़वी (भाषा संबंधी) मायने के लिहाज़ से बिद्अत की प्रशंसा की गई है, और वास्तव में यह हदीसों उन चीज़ों के बारे में हैं जिनकी बुनियाद शरीअत में मौजूद है, लेकिन बाद में वह भुला दी गई हों तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें फिर से ज़िन्दा करने पर ज़ोर दिया है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिसने इस्लाम में किसी अच्छी सुन्नत को जारी किया तो उसे उसका सवाब मिलेगा, और उसके बाद उसके पर अमल करने वालों का सवाब भी मिलेगा, जबकि उनके सवाब में कोई कमी न होगी।” (मुस्लिम) और इसी मायने में जमाअत के साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ने के बारे में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रमान है : “यह क्या ही अच्छी बिद्अत है”। क्योंकि ऐसा करना शरीअत के द्वारा साबित था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन रातों में जमाअत के साथ तरावीह पढ़ी भी थी, लेकिन इस डर से कि वह फ़र्ज़ न कर दी जाए आप ने जमाअत के साथ पढ़ना छोड़ दिया था, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में लोगों को इस सुन्नत पर इकट्ठा किया।

प्रश्न :38- निफ़ाक़ की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : दो किस्में हैं : ❶ **निफ़ाके एतिक़ादी** : इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ज़ाहिर तो ईमान करे लेकिन कुफ़्र को छुपाए हो, और यह चीज़ धर्म से बाहर निकाल देती है, और यदि इसी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु कुफ़्र पर हुई, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“मुनाफ़िक़ीन तो अवश्य नरक की सब से निचली तह में जायेंगे।” (सूरतुन्निसा :) और इनकी पहचान यह है कि यह अल्लाह और मोमिनों को धोका देते हैं, मोमिनों का मज़ाक

उड़ते हैं, उन पर काफ़िरो की सहायता करते हैं, और अपने नेक कर्मों के द्वारा सांसारिक लाभ चाहते हैं।

② निफ़ाक़े अमली : ऐसा व्यक्ति धर्म से बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन यदि तौबा न करे तो बड़े निफ़ाक़ से जा मिलने का डर होता है। और ऐसे व्यक्ति की पहचान यह है कि जब बात करता है तो झूट बोलता है, वादा करता है तो पूरा नहीं करता, लड़ाई करता है तो गाली बकता है, और मुआहदा (प्रतिज्ञा) करता है तो धोका देता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो उस में ख़यानत करता है। तो भाईयो! अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचाओ और अपने नफ़स का हिसाब करो।

प्रश्न :39- क्या मुसलमान पर निफ़ाक़ से डरना वाजिब है?

उत्तर : हाँ, सहाबए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी कर्मों में निफ़ाक़ से डरा करते थे। इब्ने मुलैका रहिमहुल्लाह कहते हैं : मेरी मुलाक़ात ३० सहाबए किराम से हुई वे सब अपने ऊपर निफ़ाक़ से डरते थे। और इब्राहीम तैमी रहिमहुल्लाह कहते हैं : मैं ने जब भी अपने कथन को अपने कर्मों के ऊपर नापा तो मुझे अपने झूठे होने का डर हुआ। हसन बसरी रहिमहुल्लाह कहते हैं : निफ़ाक़ से मोमिन ही डरता है, और मुनाफ़िक़ ही निडर रहता है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा : मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे भी मुनाफ़िक़ों में शुमार किया है? तो हुज़ैफ़ा ने कहा : नहीं, और आप के बाद मैं किसी की भी सफ़ाई नहीं दूँगा।

प्रश्न :40- अल्लाह तआला के यहाँ सब से बड़ा पाप क्या है?

उत्तर : अल्लाह तआला के साथ साझी बनाना सब से बड़ा पाप है, अल्लाह तआला का फ़रमान है : “अवश्य शिर्क सब से बड़ा पाप है।” (लुक़्मान:9३) और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया कि कौनसा पाप सब से बड़ा है? तो आप ने फ़रमाया: “तू अल्लाह के साथ दूसरे को साझी बनाए, जबकि उसने तुझे पैदा किया है”। (बुख़ारी और मुस्लिम)

प्रश्न :41- शिर्क की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : दो किस्में हैं : **① शिर्के अक्बर :** इतना बड़ा पाप है कि यह शिर्क करने वाले व्यक्ति को इस्लाम धर्म के दायरे से बाहर निकाल देता है। और ऐसे मुशिरक व्यक्ति की मृत्यु यदि शिर्क से बिना तौबा किए हो गई तो उसकी कभी भी माफी नहीं होगी। अल्लाह तआला का फ़रमान है : “निःसन्देह अल्लाह तआला अपने साथ शिर्क

किए जाने को नहीं क्षमा करता, और इस के अतिरिक्त पाप जिसके चाहे क्षमा कर देता है।” (सूरतुन्निसा :४८) और इसकी चार किस्में हैं :

१. दुआ में शिर्क करना।

२. नियत, इरादे और इच्छा में शिर्क करना। जैसे गैरुल्लाह के लिए नेक कर्म करना।

३. पैरवी में शिर्क करना। जैसे अल्लाह तआला ने जिन चीजों को हलाल किया है, उन्हें हराम ठहराने में या जिन्हें हराम किया है उन्हें हलाल ठहराने में आलिमों की बातें मानना।

४. महब्बत में शिर्क करना, अर्थात् अल्लाह तआला जैसी महब्बत दूसरे से करना।

② **शिर्के अस्ग़र** : यह पाप शिर्क करने वाले व्यक्ति को धर्म के दायरे से बाहर नहीं निकालता। जैसे गुप्त शिर्क; अर्थात् मामूली रियाकारी (दिखावे के लिए नेक काम करना)

प्रश्न :42- शिर्क अक्बर और शिर्क अस्ग़र में क्या फ़र्क है?

उत्तर : दोनों में अन्तर यह है कि शिर्के अक्बर करने वाले व्यक्ति को संसार में धर्म के दायरे से बाहर माना जाएगा, और आख़िरत में वह सदा के लिए जहन्न में जलेगा। लेकिन शिर्के अस्ग़र करने वाले व्यक्ति को संसार में धर्म के दायरे से बाहर नहीं माना जाएगा, और न ही आख़िरत में वह सदा के लिए जहन्न में जलेगा। इसी तरह शिर्के अक्बर सारे कर्मों को नष्ट कर देता है, लेकिन शिर्के अस्ग़र मात्र उसी कर्म को नष्ट करता है जिसमें वह शामिल हो। लेकिन एक बात में मतभेद है कि क्या शिर्के अस्ग़र से माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है? या वह भी दूसरे बड़े गुनाहों की तरह अल्लाह की मशीयत के तहत है? बहरहाल दोनों सूरतों में मामला ख़तरनाक है।

प्रश्न :43- क्या शिर्के अस्ग़र के कुछ उदाहरण भी हैं?

उत्तर : हाँ, जैसे : ① थोड़ा सा दिखलावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे अधिक डर शिर्के अस्ग़र यानी रिया का है।” (अहमद) ② गैरुल्लाह की क़सम खाना। ③ बद्फ़ाली लेना। परिन्दों, नामों, शब्दों और जगहों इत्यादि से बद्फ़ाली लेना।

प्रश्न :44- क्या रिया (दिखलावा) होने से पहले इससे बचाव का कोई रास्ता या हो जाने के बाद इसका कोई कफ़ारा है?

उत्तर : इससे बचाव का रास्ता यह है कि अल्लाह की खुशी प्राप्त करने के लिए कर्म करे, और यदि थोड़ा सा हो तो दुआ द्वारा इससे पनाह तलब करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “लोगो! इस शिर्क से बचो जो चींटी की चाल

से अधिक छिपा हुआ है, तो लोगों ने पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल! जब यह चींटी की चाल से भी अधिक छिपा है तो हम इससे कैसे बचें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: यह दुआ किया करो :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

“ऐ अल्लाह! हम जान बूझ कर तेरे साथ शिर्क करने से तेरी पनाह में आते हैं, और जो नहीं जानते हैं उससे तेरी माफ़ी चाहते हैं”। (अहमद) और ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने का कफ़ारा यह है कि ‘ला-इलाहा इल्लल्लाह’ कहे जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “जिस ने लात और उज़्ज़ा की क़सम खाई तो वह ‘ला-इलाहा इल्लल्लाह’ कहे”। (बुखारी और मुस्लिम) और बद्-फ़ाली के कफ़ारे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “जिसे बद्-फ़ाली ने अपनी ज़रूरत पूरी करने से रोक दिया, तो उसने यकीनन् शिर्क किया”। लोगों ने पूछा : तो इसका कफ़ारा क्या है? आप ने फ़र्माया : यह दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“ऐ अल्लाह! सारी भलाईयाँ तुझ ही से हैं, और तेरी फाल के अतिरिक्त कोई फाल नहीं, और तेरे सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं।” (अहमद)

प्रश्न :45- रिया (दिखलावा) की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : चार किस्में हैं। ❶ एक यह कि कर्म करना मात्र दिखलावे के लिए हो, जैसा कि मुनाफ़िकों का हाल था।

❷ दूसरा यह कि कर्म करना अल्लाह की रिज़ा और दिखलावे दोनों की खातिर हो, तो इन दोनों तरह के लोग पापी हैं, इन्हें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उनका कर्म उनके मुंह पर मार दिया जाएगा।

❸ बन्दा अल्लाह तआला के लिए नेकी करना शुरू करे फिर नीयत में दिखलावा पैदा हो जाए, तो यदि वह दिल से दिखलावे को निकाल दे तो यह हानिकारक नहीं है, और यदि न निकाले तो वह नेकी बातिल होजाएगी।

❹ नेकी कर लेने के बाद रिया की ओर ध्यान जाए तो इससे नेकी प्रभावित नहीं होगी, बल्कि यह शैतानी वस्वसा है। इसके अलावा भी रिया के छिपे दरवाज़े हैं, जिनसे बच कर रहना ज़रूरी है।

प्रश्न :46- कफ़्र की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : दो किस्में हैं। ① बड़ा कुफ्र जो कि व्यक्ति को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देता है। और इसकी पाँच किस्में हैं : १- झूठलाने का कुफ्र। २- तस्दीक के साथ घमण्ड करने का कुफ्र। ३- शक का कुफ्र। ४- मुंह फेरने का कुफ्र ५- निफाक के द्वारा कुफ्र करना।

② छोटा कुफ्र, और इसे कुफ्रे ने'मत भी कहते हैं। और यह पाप है लेकिन इससे व्यक्ति इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे किसी मुस्लिम व्यक्ति की हत्या करना।

प्रश्न :47- नज़्र का क्या हुक्म है?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र से रोकते हुए फरमाया : “इससे कोई भलाई नहीं आती।” (बुखारी) यह हुक्म उस अवस्था की है जब कि नज़्र मात्र अल्लाह के लिए मानी गई हो, लेकिन यदि गैरुल्लाह के लिए नज़्र हो जैसे किसी क़ब्र या वली के लिए नज़्र मानी जाए तो फिर नज़्र मानना हराम है और ऐसी नज़्र का पूरा करना भी जायज़ नहीं।

प्रश्न :48- जादू का क्या हुक्म है?

उत्तर : जादू मौजूद है, और इसकी हकीकत ख़याली है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है : “मूसा को यह ख़याल होने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उन के जादू की शक्ति से दौड़ भाग रही हैं।” (तह्राह :66) और कुरआन और हदीस द्वारा इसका प्रभाव भी साबित है। जादू हराम है और इसका शुमार बड़े गुनाहों में होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “सात हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो” लोगों ने पूछा : यह गुनाह कौन से हैं? तो आप ने फ़रमाया: “अल्लाह के साथ शिर्क करना, और जादू ...”। और अल्लाह तआला का फ़रमान है : “हम तो मात्र एक फित्ना (परीक्षा) हैं, अतः तुम कुफ्र न करो” 1/4सूरतुल बकरा :90 2 1/2 रही यह रिवायत कि “जादू सीखो और उसके अनुसार अमल न करो” तो यह रिवायत और इस जैसी दूसरी रिवायतें झूठी हैं, जो कि साबित नहीं हैं।

प्रश्न :49- काहिने या ज्योतिशी के पास जाने का क्या हुक्म है?

उत्तर : उनके पास जाना हराम है, यदि उनके पास लाभ की उम्मीद से गया और उनकी बातों को सच नहीं माना तो उसकी ४० दिन की नमाज़ें स्वीकार नहीं होंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “जिसने ज्योतिशी के पास आकर उससे कुछ पूछा तो उसकी ४० रात की नमाज़ें नहीं स्वीकार होंगी।” (मुस्लिम) और

यदि उसने उनके ग़ैबी इल्म के दावे को सत्य मान लिया तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के धर्म के साथ कुफ़्र किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “जो व्यक्ति ज्योतिशी या काहिन के पास आया और उस की बात को सच मान लिया तो उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतारे गए धर्म के साथ कुफ़्र किया।” (अबू-दाऊद)

प्रश्न :50- सितारों से बारिश तलब करना बड़ा शिर्क कब होगा और छोटा शिर्क कब होगा?

उत्तर : जिसकी यह आस्था हो की वर्षा बरसाने में अल्लाह तआला की चाहत के बिना सितारों की अपनी तासीर होती है, वही पानी बरसाते हैं तो यह बड़ा शिर्क है। पर जो यह आस्था रखे कि अल्लाह तआला की चाहत से सितारों का प्रभाव होता है, वर्षा बरसाने के लिए अल्लाह तआला ने उन्हें माध्यम बनाया है, जब वह सितारा प्रकट होता है तो वर्षा होती है, तो यह छोटा शिर्क है। इसलिए कि उसने शरीअत की दलील के बिना उसे सबब बनाया। अलबत्ता मौसम और वर्षा के समय की जानकारी के लिए इसके द्वारा अनुमान लगाना जायज़ है।

प्रश्न :51- पाप की कितनी किस्में हैं?

उत्तर : पाप की दो किस्में हैं। ① **बड़े पाप** : जिसके करने पर संसार में हद्द लागू किया जाए, या आख़िरत में सज़ा की धमकी दी गई हो, या उसके करने वाले पर ग़ज़ब हो या ला'नत हो, या उससे ईमान का इन्कार किया गया हो। ② **छोटे पाप** : जो इनके अलावा हों।

प्रश्न :52- क्या किसी कारण छोटे पाप भी बड़े बन जाते हैं?

उत्तर : हाँ, कई एक कारण हैं जिन की वजह से छोटे पाप बड़े बन जाते हैं, उनमें अहम कारण हैं गुनाहों पर डटे रहना, या उन्हें बार बार करना, या उन्हें कमतर समझना, या गुनाह करके उस पर उगर्व करना, या खुले-आम पाप करना।

प्रश्न :53- तौबा का क्या हुक्म है, और कैसे क़बूल होती है?

उत्तर : तुरन्त तौबा करना वाजिब है, गुनाह करना स्वयं कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह तो मानव की फितूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हर इंसान गलती करने वाला है, और गलती करने वालों में सब से अच्छे वो लोग है जो तौबा करने वाले हैं।” (तिर्मिज़ी) और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “यदि तुम पाप न करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें नष्ट कर देगा, और

तुम्हारे स्थान पर एक ऐसी कौम लाएगा जो गलती करेगी, और अल्लाह से बख़्शिश चाहेगी और अल्लाह उन्हें बख़्श देगा।” (मुस्लिम) लेकिन गलत चीज़ यह है कि आदमी गुनाह पर डटा रहे और तौबा करने में देरी करे। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

“अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की तौबा क़बूल करता है जो अन्जान होने के कारण बुराई करें और जल्द ही उससे (रुक जायें और) माफ़ी मांगें तो अल्लाह भी उनकी तौबा क़बूल करता है।” (सूरतुतौबा :99)

तौबा स्वीकार होने के लिए कुछ शर्तें हैं, ❶ गुनाहों को छोड़ देना। ❷ पिछले गुनाहों पर पछतावा खाना। ❸ भविष्य में न करने का पक्का इरादा करना। और यदि पाप का सम्बंध लोगों के हुक्क और अधिकार से हो तो उसे उन तक वापस लौटाना ज़रूरी है।

प्रश्न :54- क्या हर प्रकार के पाप से तौबा की जा सकती है? और इसका समय कब समाप्त होता है? और तौबा करने वाले को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर : हाँ, हर प्रकार के गुनाह से तौबा की जा सकती है, और तौबा का द्वार उसमय तक खुला हुआ है जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकल आए, या आदमी का प्राण उसके गले तक न पहुँच जाए। और तौबा करने वाला यदि अपने तौबा में सच्चा है तो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है, उसके पाप चाहे आकाश की ऊँचाई तक क्यों न पहुँच जायें।

प्रश्न :55- मुस्लिम शासक के प्रति क्या वाजिब है?

उत्तर : खुशी और ग़मी हर अवस्था में उनकी बातों को सुनना और मानना वाजिब है, यदि वे अत्याचार भी करें तब भी उनके विरुद्ध बगावत करना अवैध है, उन पर शाप करना जायज़ है और न ही उनके आज्ञापालन से मुँह मोड़ना जायज़ है, बल्कि हम उनकी भलाई और सुधार के लिए दुआ करेंगे, और जब तक वे हमें बुराई का आदेश न दें उनकी इताअत को हम अल्लाह तआला की इताअत का हिस्सा समझते हैं, और यदि उन्होंने बुराई का आदेश दिया तो उसमें उनकी बात नहीं मानी जाएगी बाकी भलाई के कामों में उनकी इताअत की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “हाकिम की बात सुनो और उसकी इताअत करो, अगरचे तुम्हें मारा जाए और तुम्हारा माल छीन लिया जाए, फिर भी सुनो और इताअत करो”। (मुस्लिम)

प्रश्न :56- क्या आदेश और मनाही के बारे में अल्लाह की हिक्मत का प्रश्न करना जायज़ है?

उत्तर : हाँ जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि ईमान लाना या अमल करना हिक्मत की जानकारी पर निर्भर न हो। बल्कि यह जानकारी एक मोमिन के हक़ पर जम जाने और उस पर सुदृढ़ रहने का कारण सिद्ध हो। लेकिन संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना और प्रश्न न करना मुकम्मल बन्दगी, अल्लाह और उसकी कामिल हिक्मत पर ईमान की दलील है। जैसा कि सहाब-ए-कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का हाल था।

प्रश्न :57- अल्लाह तआला के इस फ़रमान ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾

﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ “तुझे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह तआला की ओर से है, और जो बुराई पहुँचती है वह तेरे अपने खुद की ओर से है” का क्या मतलब है?

उत्तर : आयत में ﴿ حَسَنَةٍ ﴾ से मुराद ने’मत और ﴿ سَيِّئَةٍ ﴾ से मुराद मुसीबत और परेशानी है, और यह सारी चीज़ें अल्लाह तआला की ओर से मुक़द्दर हैं। ने’मत की निस्वत अल्लाह तआला की ओर की गई है क्योंकि यह उसी का एहसान है, तथा मुसीबत व परेशानी को भी अल्लाह तआला ने ही किसी हिक्मत के कारण पैदा किया है, और इस एतिबार से वह भी वह भी अल्लाह तआला की ओर से एहसान है, क्योंकि वह कभी बुराई करता ही नहीं, बल्कि उस के सारे काम अच्छे हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “ 1/4ए अल्लाह! 1/2 हर भलाई तेरे हाथ में है, और बुराई की निस्वत तेरी तरफ़ नहीं।” (मुस्लिम)

अतः बन्दों के कामों का पैदा करने वाला अल्लाह तआला ही है, और साथ ही साथ स्वयं बन्दे की अपनी कमाई भी है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

“तो जो व्यक्ति देता रहा और डरता रहा, और अच्छी बातों की पुष्टि करता रहा, तो हम भी उसके लिए आसानी पैदा कर देंगे, लेकिन जिसने कंजूसी की और बेपरवाही ज़ाहिर किया, और अच्छी बातों को झुठलाया, तो हम भी उस पर कठिनाई का साधन उपलब्ध करा देंगे” 1/4सूरतुल्लैल : ५-१० 1/2

प्रश्न :58- क्या यह कहना जायज़ है कि फ़लाँ व्यक्ति शहीद है?

उत्तर : किसी विशिष्ट व्यक्ति को शहीद कहना वैसे ही है जैसे उसे जन्नती कहा जाए, और इस सम्बंध में अहले सुन्नत-वल्-जमाअत का मज़हब यह है कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नती या जहन्नमी होने की ख़बर दी है उनके सिवाय किसी भी विशिष्ट मुस्लिम को जन्नती या जहन्नमी न कहा जाए, क्योंकि हकीकत पोशीदा है, और किस स्थिति में उस व्यक्ति की मौत हुई इसकी जानकारी हमें नहीं है, और अन्तिम कर्मों का ही एतेबार होगा, और नियत की जानकारी मात्र अल्लाह तआला को है, लेकिन नेकी करने वाले के लिए हम सवाब की उम्मीद करेंगे और पापी पर सज़ा से डरेंगे।

प्रश्न :59- क्या किसी विशिष्ट मुस्लिम व्यक्ति को काफ़िर कह सकते हैं?

उत्तर : किसी विशिष्ट मुस्लिम व्यक्ति पर कुफ़्र, शिर्क या निफ़ाक़ का हुक्म लगाना जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि उस पर दलाला करने वाली कोई चीज़ उस से ज़ाहिर न हो जाए और हर प्रकार की रूकावट समाप्त न हो जाए। रहा मामला उसके भेदों का तो हम उसे अल्लाह के हवाले कर देंगे।

प्रश्न :60- क्या का'बा के अलावा दूसरी जगहों का तवाफ़ करना जायज़ है?

उत्तर : का'बा के अलावा दूसरी किसी भी जगह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं है, और न ही किसी भी जगह की बराबरी उससे करना जायज़ है चाहे उस जगह की फ़ज़ीलत कितनी भी अधिक क्यों न हो। और जिसने का'बा के अलावा किसी अन्य जगह का उसकी ताज़ीम करते हुए तवाफ़ किया तो उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की।

प्रश्न :61- क़ियामत की बड़ी निशानियाँ क्या क्या हैं?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “क़ियामत उस समय तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि उससे पहले तुम दस निशानियाँ न देख लो, और इन का चर्चा करते हुए फ़रमाया: धुआँ, दज्जाल, जानवर, पश्चिम से सूरज का निकलना, ईसा बिन मर्यम का नाज़िल होना, याजूज-माजूज का निकलना, तीन जगहों पर ज़मीन का धंसना, पश्चिम, पूरब और जज़ीरतुलअरब में, और अन्तिम निशानी के रूप में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को महशर में इकट्ठा करेगी।” (मुस्लिम) इब्ने उमर की हदीस के अनुसार इनमें सब से पहली निशानी पश्चिम से सूरज का निकलना है। और इसके अलावा दूसरी बातें भी कही गई हैं।

प्रश्न :62- लोगों के लिए सब से बड़ा फ़िल्ना कौनसा होगा?

उत्तर : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: “आदम की पैदाइश से लेकर क़ियामत कायम होने तक दज्जाल से बड़ा कोई फ़िल्ना नहीं है।” (मुस्लिम) दज्जाल आदम की औलाद में से है, जो कि अन्तिम ज़माने में निकलेगा, उसकी दोनों आँखों के बीच (ك ف ر) लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, वह दाहिनी आँख का काना होगा, गोया कि अंगूर की तरह उभरी हुई हो, वह जब निकलेगा तो शुरू में सुधार का दावा करेगा, फिर नुबुव्वत और अल्लाह होने का दावा करेगा, लोगों के पास आएगा और उन्हें अपनी ओर बुलाएगा, लोग उसे झुठला देंगे, वह उनके पास से वापस होगा तो उनके माल भी उसके पीछे पीछे हो लेंगे, और वे खाली हाथ हो जाएंगे। फिर दूसरे लोगों के पास आएगा और उन्हें अपनी ओर बुलाएगा, वे उसकी बात मान लेंगे और उसकी पुष्टि करेंगे, वह आकाश को आदेश देगा तो बरसात होगी, ज़मीन को आदेश देगा तो अनाज निकालेगी। वह लोगों के पास पानी और आग के साथ आएगा, उसकी आग ठन्डी होगी और उसका पानी गरम होगा। मोमिन के लिए मुनासिब यह कि हर नमाज़ के अन्त में उसके फ़िल्ने से अल्लाह की पनाह मांगे। और यदि उसे पा ले तो उस पर सूरतुल्-कहफ़ की शुरू की आयतें पढ़े। और उससे मुठभेड़ करने से बचे ताकि कहीं फ़िल्ने में न पड़ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है : “जो दज्जाल के बारे में सुने वह उससे दूर रहे, इसलिए कि अल्लाह कि क़सम व्यक्ति उसके पास आएगा और वह अपने आप को मोमिन समझ रहा होगा, लेकिन उसके साथ जो शुबहात होंगे उन के कारण उसकी पैरवी करने लगेगा।” (अबू दाऊद) वह संसार में ४० दिन तक रहेगा, पहला दिन एक वर्ष के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक सप्ताह के बराबर और बाकी दिन साधारण दिनों की तरह होंगे। और मक्का और मदीना के सिवाय बाकी सारे शहर और देश में जाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आकाश से उतरेंगे और उसको क़त्ल करेंगे।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

* atazia75@gmail.com